

अति आवश्यक

क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुडगाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा।
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा।

दिनांक, चण्डीगढ़ १२ जुलाई, 2019

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने वारे।

श्रीमान/श्रीमती,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-05-2019 की ओर दिलाउं तथा अनुरोध करूं कि कृपया सूचित करें कि सरकार के उक्त पत्र पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, की सूचना 7 दिन के अन्दर अन्दर कि सरकार के उक्त पत्र पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, की सूचना 7 दिन के अन्दर अन्दर भिजवाएं। मुझे यह अनुरोध करने का भी निदेश हुआ है कि आपके अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या (field & H.O.) तथा उनके मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना भी सरकार को 7 दिन के अन्दर अन्दर भिजवाने का कष्ट करें।

Sharan

अवर सचिव, प्रोटोकोल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sharan

अवर सचिव, प्रोटोकोल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार।

अशा० क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0
पृ० क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ १२ जुलाई, 2019

दिनांक, चण्डीगढ़ १२ जुलाई, 2019

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०), हरियाणा।

Sharan

अवर सचिव, प्रोटोकोल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।